रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 940] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2017/चैत्र 15, 1939
No. 940] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का. आ.1055(अ).— चूंकि, भारी उद्योग विभाग ने अपने का. आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 के अनुसार, फेम इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] नामक स्कीम अधिसूचित की।

2. और चूंकि, फेम इंडिया स्कीम का खण्ड 4 कहता है- "इस स्कीम का चरण-I 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ करके 2 वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित किया जाएगा।

3. और चूंकि, फेम इंडिया स्कीम का खण्ड 10 कहता है- "माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियां (समेकित रूप से एक्सईवी कहा गया) इस स्कीम में शामिल हैं।"

4. अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, यह निर्णय लिया गया है कि फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I को और छह माह की अवधि अर्थात 30 सितंबर, 2017 या चरण-II का अनुमोदन, जो भी पहले हो, तक के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त, "माइल्ड हाइब्रिड" प्रौद्योगिकी जैसा उपर्युक्त अनुसार खण्ड 10 में उल्लिखित है, 1 अप्रैल, 2017 से फेम इंडिया स्कीम से बाहर होगी। यह राजपत्र अधिसूचना के अन्य खण्डों, जो माइल्ड हाइब्रिड वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन देने हेतु अब तक लागू थे, में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा। डीलरों द्वारा रिटेल क्रेताओं को माइल्ड हाइब्रिड वाहनों की 31 मार्च, 2017 तक की गई बिक्री इस संशोधन से प्रभावित नहीं होगी।

5. अत: का. आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 के अनुसार जारी फेम इंडिया [भारत में हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] स्कीम अधिसूचना तद्नुसार संशोधित की जाती है।

[फा.सं.12(14)/2017-एईआई]

विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

S.O.1055(E).— Whereas, the Department of Heavy Industry notified the scheme namely FAME-India [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India] vide S.O. 830(E) dated 13th March, 2015.

2. And whereas, Clause 4, of the FAME-India Scheme " The Phase-I of the scheme shall be implemented over a 2 year period i.e. FY 2015-16 and FY 2016-17 commencing from 1st April, 2015".

3. And whereas, Clause 10, of the FAME India scheme states *"Mild Hybrid, Strong Hybrid, Plug-in Hybrid and Pure Electric technologies (collectively termed as xEV) are covered under the scheme."*

4. Now with the approval of competent authority, it is decided that Phase-I of the FAME-India Scheme is further extended for a further period of six months i.e. up to 30th September 2017 or till approval of Phase-II, whichever is earlier. Further, "Mild Hybrid" technology as mentioned under clause 10 as stated above, will stand excluded from benefits under the FAME-India Scheme w.e.f. 1st April 2017. This will apply *mutatis mutandis* to other clauses in the gazette notification, which hitherto had enabled giving of demand incentives to Mild Hybrid Vehicles. Sales of mild hybrid vehicles by dealer to retail purchasers effected up to 31st March 2017 will not be affected by this amendment.

5. Therefore, FAME-India [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid&) Electric Vehicles in India] scheme notification vide S.O. 830(E) dated 13th March, 2015 stands amended accordingly.

[F.No. 12(14)/2017-AEI]
VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.06 23:21:15 +05'30'